

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/03-(एक)/2015/1098
दिनांक: 10.05.2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
गुरुकुल पतंजलि विद्यापीठ,
रामपुर देवरिया, गाजीपुर।

विषय : महाविद्यालय को बी0एड0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1103 (1)/सत्तर-6-2014-2(97)/2014, दिनांक-01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में दिनांक-28 अप्रैल, 2015 को सम्पन्न विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक के कार्यसूची संख्या-08 पर लिये गये निर्णय के आलोक में गुरुकुल पतंजलि विद्यापीठ, रामपुर देवरिया, गाजीपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय) में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक-01.07.2015 से आगामी दो वर्षों हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं बी0एड0 विभागाध्यक्ष का अनुमोदन पत्र, संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित कमी को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा।
2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक-02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
3. शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन/एन.सी.टी.ई. जयपुर द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षणिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आबंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
5. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि जाँच किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को विश्वविद्यालय द्वारा जाँच हेतु प्रेषित पत्र पर प्राप्त जाँच आख्या के अधीन होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
8. महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चौथी मंजिल, जीवन निधि एल0आई0सी0 बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302005 (राजस्थान)
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART - III, SECTION 4

File No. NRC/NCTE/NRCAPP- 8466, 8258, 6515, 7518, 7535, 8665, 8155, 8207, 6577,
8216- 231/232 Meeting

Dated:- 13 MAR 2015

189437-455
RECOGNITION ORDER

WHEREAS in terms of section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institutions had submitted applications to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition for Teacher Education Courses.

AND WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by these institutions, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against letter of intent under clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014 (earlier 7(9) of the NCTE Regulations, 2009), the Northern Regional Committee in its 231st/232nd Meeting held in February, 2015 is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the concerned Teacher Education Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition to the following Institutions for conducting Teacher Education Course with an annual intake mentioned against their names from the academic session 2015-2016 under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfilment of the conditions mentioned below :-

S. No	File No.	Name of the Institution	Course	Duration	Approved annual intake	Name of the Affiliating Body
1	NRCAPP-8466	Sukhran Singh Mahavidyalaya Sarwan Mau Plot No. - 10/1, 10/2, 10/3, Post Office - Sarwan, Village - Sarwan, Tehsil/Taluka - Sadar, Town/city - Mau, Dist. - Mau (UP) - 275105	B.Ed. (Coed)	2 years	100 (2 units)	V.B.S. Purvanchal University, Jaunpur (UP)
2	NRCAPP-8258	The Oxford College of Education Plot No. - 1, Village - Masuri Industrial Area, Street No. - NTPC Road, Post Office - Masuri, Tehsil/Taluka - Hapur, Dist. - Ghaziabad (UP) - 201001	B.Ed. (Co.Ed.)	2 years	100 (2 units)	Ch. Charan Singh University, Ramgarhi, Meerut (UP)
3	NRCAPP-6515	Elite College of Professional and Studies Plot No. - 228, 229, 233, Street No. NH-58, Village - Haridwar Highway Dadri, Post Office - Sakoti Tanda, Tehsil/Taluka - Sardhana, Town/city - Meerut, Dist. - Meerut (UP) - 250223	B.Ed. (Coed)	2 years	100 (2 units)	Ch. Charan Singh University, Ramgarhi, Meerut (UP)
4	NRCAPP-7518	Gurukul Patanjali Vidyapeeth Plot No. -28, 30s, 30b, Village - Rampur, Post office - Deoria, Tehsil/Taluka - zamania, Town/city - Zamania, Dist. - Ghazipur (UP) - 232340	B.Ed. (Girls)	2 years	100 (2 units)	V.B.S. Purvanchal University, Jaunpur (UP)
5	NRCAPP-7535	Birendra Mahavidyalaya Sarojnagar Devchandpur Ghazipur Plot No. - 134, Village - Devchandpur, Post office - Devchandpur, Tehsil/Taluka - Saidpur, Town/city - Saidpur, Dist. - Ghazipur (UP) - 233304	B.Ed. (Coed)	2 years	100 (2 units)	Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur, Uttar Pradesh
6	NRCAPP-8665	Kargil Shahid Lalmani Yadav Degree College Lohari Karchhana Allahabad Plot No. -115, Street No. - 1, Village - Lohari, Post office - Basahi, Tehsil/Taluk -	B.Ed.	2 years	100 (2 units)	University of Allahabad, Allahabad (UP)

प : चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल
सिंह मार्ग, जयपुर-302 005 (राजस्थान)
: उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
No 0141-2744288, 2744635, Fax : 0141-2744173

Office : 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle,
Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan)
Jurisdiction : U.P., Uttaranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-mail : nrc@ncte-india.org...
Website : www.ncte-india.org